

### असाधारण

### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

#### प्राधिकार से प्रकाशित

### PUBLISHED BY AUTHORITY

**सं. 2190]** No. 2190] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 14, 2018/ज्येष्ठ 24, 1940

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 14, 2018/JYAISTHA 24, 1940

# उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2018

का.आ. 2421(अ).— केन्द्र सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 14 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के उपरान्त, एतद्वारा अधिसूचित करती है कि सन्दर्भित उप-धारा के प्रयोजनार्थ, कीमती धातु की निम्नलिखित वस्तुओं पर हॉलमार्क चिह्नित किया जाए, अर्थात:-

- 1. स्वर्ण आभूषण एवं स्वर्ण कलाकृतियां
- 2. चांदी के आभूषण एवं चांदी की कलाकृतियां

[फा.सं. 6/1/2017-बी.आई.एस.] अनिल बहुगुणा, संयुक्त सचिव

3345 GI/2018 (1)

## MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

### (Department of Consumer Affairs)

## **NOTIFICATION**

New Delhi, the  $14^{th}$  June, 2018

**S.O 2421(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 14 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby notifies the following precious metal articles to be marked with Hallmark for the purposes of the said sub-section, namely:-

- 1. Gold jewellery and gold artefacts
- 2. Silver jewellery and silver artefacts

[F.No. 6/1/2017-BIS]

ANIL BAHUGUNA, Jt. Secy.